आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –62/2021
सोहन प्रसाद
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
10.04.2023	प्रस्तुत अपीलवाद जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक 1630 दिनांक 19.07.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने अपीलकर्ता को सांख्यिकी सहायक के पद से चयनमुक्त करने का आदेश दिया है। अपीलकर्ता पर निम्नलिखित आरोप गठित किये गये हैः– (i) स्वेच्छाचारी एवं लापरवाह कार्यशैली, कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता तथा सेविका/सहायिका चयन कार्य में जानबूझकर बाधा पहुँचाना। (ii) सेविका/सहायिका बहाली हेतु प्रकाशित मेधा सूची पर पीछे की तारीख में (Back date) आपत्ति प्राप्त करना, अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर आपत्ति का निराकरण स्वयं करना, सेविका/सहायिका बहाली में गंभीर अनियमितता करना, वार्ड वाईज शिफ्टिंग हेतु अवैध राशि की मांग करना, सेविका/सहायिका चयन संबंधी संचिका तैयार नहीं करना,	

WEB COPY NOT OFFICIAL

वार्ड वाईज शिफिटिंग की संचिका तैयार नहीं करना, रिक्ति संकलन एवं प्रकाशन में घोर अनियमितता करना, रिक्ति प्रकाशन हेतु पत्र में प्रेषण में For करके हस्ताक्षर करना, सेविका/सहायिका चयन हेतु अवैध उगाही करना, अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा गठित जाँच दल मे सहयोग नहीं करना आदि।

(iii) नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना, सेविका/सहायिका चयन कार्य चेष्टापूर्वक एवं जानबूझ कर बाधित करना, अपने पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता ने सभी स्पष्टीकरण का जवाब ससमय समर्पित किया है। किसी वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना नहीं किया है। अपीलकर्ता श्री शंभू पाण्डेय (लिपिक) को प्रभार दे रहे थे, परंतु उन्होंने (श्री शंभू पाण्डेय) स्वयं प्रभार नहीं लिया। इनका दावा है कि एक शिकायतकर्ता बृजनन्दन प्रसाद के शिकायत पर अपीलकर्ता के विरूद्ध जाँच की गई थी, परंतु जाँच में अपीलकर्ता के विरूद्ध कोई भी आरोप सत्य नहीं पाया गया। रिश्वत लेने का आरोप बिलकूल गलत है। इसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, कि कब और किसके सामने रिश्वत की मांग की गयी है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलकर्ता पर जो आरोप लगाया गया है वह बेबूनियाद एवं निराधार है। क्योंकि जिस आरोप के लिए अपीलकर्ता को दंडित किया गया है, वास्तव में उस कार्य की जिम्मेदारी अपीलकर्ता को थी ही नहीं। फिर भी जिलाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को चयनमुक्त किया गया है, जो गलत है। आगे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का

WEB COPY NOT OFFICIAL

दावा है कि अनुशासनिक प्राधिकार ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का अनुपालन किये बगैर आदेश पारित किया है, जो गलत है। इनका (अपीलकर्ता) दावा यह भी है कि कार्यालय मे साजिश के तहत अपीलकर्ता को फंसाया गया है। आगे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वृहद दण्ड अधिरोपित करने से पूर्व अनुशासनिक प्राधिकार ने द्वितीय कारण पृच्छा किये बगैर उन्हें (अपीलकर्ता) दण्डित किया है, जो गलत है। अंत में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि रिश्वत मांगने का आरोप बेबूनियाद है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता की कार्यशैली हमेशा संदेहास्पद रही है। जिलाधिकारी ने अपीलकर्ता पर लगे आरोप की जाँच कराकर, उनसे (अपीलकर्ता) स्पष्टीकरण पूछते हुए अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उल्लेखनीय है कि आरोप की जाँच हेतु विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक 1282 दिनांक 24.07.2019 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा से करायी गयी। अनुमंडल पदाधिकारी बगहा ने अपने पत्रांक 1462 दिनांक 02.08.2019 से चार सदस्यीय जाँच दल गठित कर अपने पत्रांक 170 दिनांक 26.09.2019 से जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण बेतिया को समर्पित किया। अनुमंडल पदाधिकारी ने भी जाँच में पाया की अपीलकर्ता को सेविका/सहायिका चयन मामले में मोटी रकम की उगाही करने तथा उनके (अपीलकर्ता) कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर रहने जिसमें अपीलकर्ता की भूमिका को अहम बताया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने भी अपने मंतव्य में अपीलकर्ता

WEB COPY NOT OFFICIAL

को दोषी पाया है। अनुशासनिक प्राधिकार ने अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण पूछते हुए सेवा से चयनमुक्त करने का आदेश पारित किया, जिसमें कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता पर कई अन्य स्तरों से भी गंभीर आरोप की शिकायत प्राप्त हुई, जिसके आलोक में विभिन्न स्तरों पर कारण–पृच्छा पत्रांक 276/बा0 वि0 दिनांक 05.09.2019, 283/बा0 वि0 दिनांक 11.09.2019 (बा0वि0परि0 कार्यालय, बगहा–01) पत्रांक 494/आई0सी0डी0एस0 दिनांक 10.06. 2019 पत्रांक 1112/ आई0सी0डी0एस0 दिनांक 13.09.2019, पत्रांक दिनांक 26.09.2019 (अनुमंडल कार्यालय, बगहा) ज्ञापांक 1962/गो0 दिनांक 10.10.2019 पत्रांक 2187/गो0 दिनांक 16.10.2019 तथा 2246/गो0 दिनांक 19.10.2019 के माध्यम से की गयी है। एक संविदा कर्मी के लिए इतने स्तरों से मांग करने एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण से भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता स्वेच्छाचारी, लापरवाही, अनुशासनहीन, कुटिल एवं अपने कार्य के निर्वहन में शिथिलता बरती गयी है, निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनकी (अपीलकर्ता) कार्यशैली भी काफी विवादित रही है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि अपीलकर्ता को क्यों रिश्वत देगा, क्योंकि जिस काम के लिए आरोप लगाया गया है वह काम अपीलकर्ता के क्षेत्राधिकार में था ही नहीं इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता द्वारा रिक्ति के प्रकाशन हेतु for कर हस्ताक्षर करना स्पष्ट करता है कि कार्यालय में उसकी पैठ थी, जिस आधार पर लोगों से पैसा की उगाही करता था। जाँच के दौरान महिला पर्यवेक्षिका ने बताया की सेविका/सहायिका बहाली हेतु आपत्ति

WEB COPY NOT OFFICIAL

लेने की निर्धारित तिथि दिनांक 30.06.2019 थी परन्तु उसके बाद भी पीछे की तारीख में आवेदन लेकर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति का निराकरण किया गया जो एक गंभीर आरोप है। जाँच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2018 तक ही आगत पंजी संधारित था, सेविका क्रम पंजी संधारित नहीं रखना, सेविका/सहायिका संबंधी संचिका पर संचिका संख्या अंकित नहीं रहना एवं न ही संचिका में नोट शीट लिखा हुआ पाया जाना जबकि संचिका में वार्ड शिफ्टिंग का प्रतिवेदन पाया जाना, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदनाम के उपर for करके अवकाश के दिनों में हस्ताक्षर करना बहुत ही गंभीर आरोप है। साथ ही सेविका/सहायिका चयन संबंधी संचिका घर पर रखना एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा जाँच में जाने पर झूठा बहाना बनाकर भाग जाना स्पष्ट रूप से गलत कार्यो में अपीलार्थी की संलिप्ता को परिलक्षित करता है। ऐसे आरोप के लिए जिलाधिकारी द्वारा चयनमुक्ति का दिया गया दंड सर्वथा उचित है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश में हस्तक्षेप में कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL